महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
केन्द्राध्यक्षों के लिए आवश्यक निर्देश

वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं में परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालयों के केन्द्राध्यक्षों के लिए आवश्यक निर्देश

1. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति करता है। केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करते हुए अपने परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न करायेंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सचल–दस्ता को जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे, अन्यथा केन्द्राध्यक्ष को हटा कर दूसरा केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जायेगा।
2. केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही, प्राप्त प्रश्न पत्रों की संख्या तथा सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या का मिलान तिथिवार, प्रश्न पत्रवार अवश्य कर लेंगे। यदि प्रश्न पत्र कम है तो वाहक भेज कर प्रश्न पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित स्थान में रखा जायेगा जिसके लिये कम से कम 02 लोहे की आलमीरा आवश्यक है।
3. परीक्षा से आधे घण्टे पूर्व तीन पर्यवेक्षकों (केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/कक्ष निरीक्षक) के समक्ष प्रश्न पत्र का लिफाफा खोला जायेगा तथा प्रश्न पत्र खोलने हेतु अंकित निर्देश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. केन्द्राध्यक्ष को परीक्षा अवधि में मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार होगा तथा परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्र पर प्रबन्धक/प्रबन्धतंत्र का प्रवेश निषेध होगा। यदि प्रबंधक/प्रबंध तंत्र के लोग वहॉ पर प्रविष्ठ होते है तो केन्द्राध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे।
5. **केन्द्राध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा अवधि के दौरान सी.सी.टी.वी. कैमरा वाइस रिकार्डर के साथ चालू हो तथा उसका लिंक विश्वविद्यालय से जुड़ा हो। सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकार्डिंग 60 दिनों तक सुरक्षित रखना आवश्यक है।**
6. सचल–दस्ता के सदस्यों द्वारा पूर्व तिथि में सम्पन्न परीक्षा की सी.सी.टी.वी. कैमरे की रिकार्डिंग दिखाने की मांग पर दिखाना आवश्यक होगा।
7. **केन्द्राध्यक्ष 20 परीक्षार्थियों पर एक कक्ष निरीक्षक तथा एक कक्ष में कम से कम 02 कक्ष निरीक्षक नियुक्त करेंगे।**
8. **केन्द्राध्यक्ष परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर सहायक केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति मानक के अनुसार करेंगे।**
9. परीक्षा के मात्र आधे घण्टे पूर्व ही परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र पर गहन तलाशी ली जायेगी जिसमें आन्तरिक सचल–दस्ता/कक्ष निरीक्षक अपना सहयोग प्रदान करेंगे। परीक्षा केन्द्र में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा तथा उन्हें परिसर से 200 मीटर की दूरी पर रहना होगा।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र के अतिरिक्त हस्तलिखित या मुद्रित सामग्री, मोबाइल, कैलकुलेटर, असलहा तथा अन्य किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **इस सम्बन्ध में सचल–दस्ता को दिए गए निर्देशों को भी समस्त केन्द्राध्यक्ष भली–भॉति पढ़ लेंगे तथा तद्नुसार सचल–दस्ता को सहयोग प्रदान करेंगे। अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।**
11. परीक्षा प्रारम्भ होने के आधे घण्टे विलम्ब से यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने आता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु आधे घण्टे के बाद किसी परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग किया जाता है तो विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश के तहत अनुचित साधन प्रयोग की कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रकरण गम्भीर प्रकृति का है और सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा अध्यापक को डराने–धमकाने का कार्य एवं अभद्र व्यवहार किया गया है तो अनुचित साधन के साथ–साथ सुसंगत विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

............2

13. नकल में आरोपित छात्रों से पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका को लेकर पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका दी जायेगी तथा परीक्षा समाप्त होने पर नकल में पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका तथा पुनः दी गई 'अ' उत्तर पुस्तिका दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ नत्थी कर लिफाफे में सील करने के उपरान्त लिफाफे के उपर अनुचित साधन प्रयोग की उत्तर पुस्तिका तथा कक्षा, विषय, प्रश्न पत्र, छात्रों के अनुक्रमांक, महाविद्यालय का नाम व कोड संख्या, परीक्षा केन्द्र का नाम स्पष्ट रूप में अंकित किया जायेगा।

14. यदि कोई परीक्षार्थी पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका लेने से मना करता है तो एक ही पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका सील कर भेजी जायेगी तथा उसमें उल्लेख किया जायेगा कि परीक्षार्थी ने पुनः 'अ' उत्तर पुस्तिका लेने से इंकार किया।

15. अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े गए परीक्षार्थियों का विवरण गोपनीय प्रपत्र KV-8A में उड़ाका दल के लिए आवश्यक निर्देश के बिन्दु संख्या–06(a से d तक) में पकड़े गए छात्र से उसका वक्तव्य अवश्य भराया जायेगा। यदि परीक्षार्थी इस कालम को भरने से इंकार करता है तो कक्ष निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उस कालम में यह अंकित किया जायेगा कि परीक्षार्थी ने अपना वक्तव्य देने से इंकार किया। यदि कक्ष निरीक्षक एवं केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं लिखी जाती है तो उड़ाका दल की संस्तुति अंतिम रूप से मान्य होगी।

16. गोपनीय प्रपत्र KV-8A को पूरित करने के पश्चात उत्तर पुस्तिका के साथ बरामद नकल सामग्री का उल्लेख प्रपत्र पर करते हुए नत्थी करके प्रत्येक नकल सामग्री पर केन्द्राध्यक्ष मुहर के साथ हस्ताक्षर करेंगे। छात्र/छात्रा की दोनों उत्तर–पुस्तिकाएं एवं नकल सामग्री एक साथ एक अलग पैकेट में रखकर उनकी सूची कक्षावार, विषयवार, प्रश्नपत्रवार तैयार कर महाविद्यालय के वाहक द्वारा विश्वविद्यालय (प्रभारी–अनुचित साधन प्रकोष्ठ) में अथवा संकलन केन्द्र पर उसी दिन अवश्य प्राप्त करा दिया जायेगा।

17. परीक्षा कक्ष में अस्त्र–शस्त्र, मोबाईल फोन, कैलकुलेटर पूर्णतया प्रतिबन्धित है। परीक्षार्थियों के पास उपर्युक्त यंत्र पाये जाने पर सम्बन्धित परीक्षार्थी को नकल में आरोपित कर उक्त यंत्रो का विवरण गोपनीय प्रपत्र KV-8A भरने के उपरान्त विवाद का निस्तारण होने तक केन्द्राध्यक्ष अपने पास सील करके सुरक्षित रखेंगे।

18. परीक्षा केन्द्र में सामूहिक नकल की सूचना प्राप्त होने पर महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने की कार्यवाही के साथ ही परीक्षा समिति के निर्णयानुसार आर्थिक दण्ड एवं उनकी शेष परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र अथवा किसी अन्य केन्द्र पर करायी जायेगी जिसकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित महाविद्यालय स्वयं वहन करेंगे।

19. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17–01–2015 के बिन्दु संख्या–06(III) के निर्णयानुसार उड़ाका दल द्वारा नकल के सम्बन्ध में की गई संस्तुति को अन्तिम मानते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।

20. सामूहिक अथवा समूह नकल के आरोपित महाविद्यालय की उक्त प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी और परीक्षा समिति के निर्णय के अनुरूप निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित परीक्षा केन्द्र को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

21. नकल में आरोपित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र को कम से कम तीन वर्ष तक परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाएगा।

22. परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु केन्द्रो से सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को परीक्षा केन्द्र पर पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जायेगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर से भी उनसे सम्पर्क कर सुरक्षा बल प्राप्त करेंगे।

23. बण्डल में उत्तर–पुस्तिकाएं अनुक्रमांक के क्रमानुसार रखी जायेंगी। प्रत्येक बण्डल में 100 उत्तर–पुस्तिकाओं पर एक प्रश्न–पत्र अवश्य रखा जायेगा। परीक्षा समाप्ति के पश्चात् उत्तर–पुस्तिकाओं के बण्डल प्रत्येक दशा में उसी दिन संकलन केन्द्र को प्राप्त करा दिये जायेंगे।

.............3

24. जिन प्राध्यापकों/कर्मचारियों के निकट सम्बन्धी परीक्षा देने हेतु उक्त परीक्षा केन्द्र में सम्मिलित हो रहे हों, उनकी ड्यूटी परीक्षा में किसी भी स्थिति में नहीं लगाई जायेगी।
25. उत्तर–पुस्तिकाएं सफेद कपड़े में ही पैक की जाएंगी तथा वैकल्पिक विषयों की उत्तर–पुस्तिकाओं के पैकेट कैच संख्या के अनुसार अलग–अलग तैयार किए जायेंगे तथा पैकेट के ऊपर कैच संख्या अंकित किया जाना आवश्यक होगा। बण्डल के साथ अनुपस्थित परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक एवं अन्य विवरण अवश्य उपलब्ध कराये जायेंगे।
26. **उत्तर–पुस्तिका** परीक्षा समाप्ति के **02 घंटे** के भीतर **सी.सी.टी.वी. के निगरानी** में संकलन केन्द्र पर किसी भी दशा में जमा करना आवश्यक है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी केन्द्राध्यक्ष होगी।
27. **केन्द्राध्यक्ष प्रत्येक पाली का उपस्थिति/अनुपस्थिति अपने महाविद्यालय के यूजर के माध्यम से प्रत्येक परीक्षा तिथि को प्रत्येक पाली हेतु निर्धारित समय के अन्दर आनलाइन पूरित करेंगे तथा उसको प्रिन्ट कर उत्तर पुस्तिका के साथ उसी दिन संकलन केन्द्र पर निश्चित रूप से प्राप्त करायेंगे।**
28. जिन परीक्षा केन्द्रों पर एक से अधिक महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, उन परीक्षा केन्द्रों के छात्र/छात्राओं को मिश्रित रूप से परीक्षा कक्ष में बैठाया जायेगा।
29. प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षाएं सम्पन्न होने के पश्चात् उनका अंकपर्ण शीघ्रातिशीघ्र परीक्षा नियंत्रक विभाग को प्राप्त कराया जायेगा।
30. सम्बन्धित विषय के अध्यापक की कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी नहीं लगाई जायेगी।
31. परीक्षा केन्द्र पर निर्वाध विद्युत आपूर्ति हेतु जनरेटर की व्यवस्था आवश्यक है।

*****